भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1868

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**कानूनी सहायता योजनाओं का प्रभाव आंकलन अध्ययन**

**1868 डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख कानूनी सहायता और रोजगार योजनाओं, अर्थात्, प्रो-बोनो कानूनी सेवाएं, न्यायमित्र और टेलि लॉ योजनाओं का प्रभाव आंकलन अध्ययन करवाया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या-क्या परिणाम हुए ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा अध्ययन नहीं करवाने के क्या-क्या कारण है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** टैली विधि स्कीम के पुनर्विलोकन और मध्य पाठ्यक्रम सुधार सुझाव के लिए भारत के गुणवत्ता परिषद् के माध्यम से क्षेत्र मूल्यांकन कराया गया था। भारत गुणवत्ता परिषद् द्वारा दिए गए मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार है:-

(i) स्कीम की आउटरीच, प्रचार और जागरुकता, पोस्टरों, रेडियों, टेलीवीजन, समाचारपत्रों, होर्डिगों और किसी अन्य सार्वजनिक पटल के माध्यम से बढ़ायी जाये ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत मामलों के प्रकार और प्रकृति को देखने , मूल्याकंन करने, विश्लेषण करने तथा विधिक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रकार, विधिक सहायता प्राप्त करने वाले की प्रतिक्रिया और लंबित मामलों, आदि, के लिए एक समेकित डैशबोर्ड का सृजन किया जाना चाहिए ;

(iii) पैरा विधिक स्वंय-सेवियों और ग्राम स्तर उद्यमियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जाने चाहिए ;

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***